24

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–अशोकनगर R 180 – II-17

गोपाल बिहारी पुत्र श्री बंशीलाल दुबे,
निवासी ग्राम ओंडेर, तहसील मुंगावली,
जिला– अशोकनगर (म.प्र.)

––आवेदक

श्री ...... चतुर्वेदी अभि. द्वारा आज दि. 11.1.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

2– दीपक पुत्र श्री कन्हैयालाल पटेरिया,
निवासी ग्राम ओंडेर, तहसील मुंगावली,
जिला– अशोकनगर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगावली, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 251/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 दीपक पटेरिया द्वारा ग्राम ओंडेर, तहसील मुंगावली, जिला– अशोकनगर में स्थित रामजानकी मंदिर जिसकी लगभग 10–12 बीघा भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त मंदिर के पुजारी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार, तहसील मुंगावली के समक्ष प्रस्तुत किया, जबकि उपरोक्त कार्य हेतु नायब तहसीलदार सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथमतः प्रचलन योग्य ही नहीं था।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील मुंगावली द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 25/बी–121/2015–16 पर

2/11/17

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया।

यह निगरानी तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 251 बी-121/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-1-2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 4-1-2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि मंदिर श्री रामजानकी स्थित ग्राम ओढेर के पुजारी के रिक्त पद पर पुजारी नियुक्त किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर से तहसीलदार मुंगावली द्वारा जॉच कार्यवाही की जा रही है इसी दौरान आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष पुजारी नियुक्ति कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज कराई है जिसे तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 4-1-2017 से निरस्त किया है इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3/ पुजारी नियुक्ति की कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के ~~नियमों~~ के अंतर्गत नहीं की जाती है, अपितु मध्य प्रदेश शासन, धार्मिक एंव धर्मस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी विज्ञप्ति 168-2138/छः /86 दिनांक 10 फरवरी 1987 से जारी निर्देशों के कम में की जाती है। ज्ञापन दिनांक 10 फरवरी 1987 के पद 3 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :-

'' कमिश्नर/राज्य शासन स्वप्रेरणा से अथवा किसी पक्षकार के आवेदन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक **180–दो/2017 निगरानी** **जिला अशोकनगर**

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पत्र प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी/कलेक्टर/कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश की बैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाही की अनियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये ऐसे पदाधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाये गये किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा, उसका परीक्षण कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा जैसाकि वह उचित समझे ''। स्पष्ट है कि उक्त नियमों के अधीन तहसीलदार के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई निगरानी के श्रवणाधिकार राजस्व मण्डल को नही हैं अपितु यह शक्तियॉ मध्य प्रदेश शासन में वेष्ठित हैं। आवेदक इस आदेश की प्रति के साथ सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। निगरानी सुनवाई योग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। **सदस्य**	